एलआईसी की **बीमा प्लेटिनम** जीवन सुरक्षा,
गारंटीड एडिशन्स और अन्य कई लाभ प्रदान करती है,
साथ ही आपके भविष्य को और समृद्ध बनाती है।

प्रस्तुत है

एलआईसी की
बीमा प्लेटिनम

यूआईएन: 512N397V01 | प्लान नं.: 770

नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना

ऑनलाइन भी उपलब्ध

मुख्य विशेषताएँ:

- गारंटीड एडिशन्स - प्रत्येक ₹1,000/- के कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम पर ₹70/- की दर से प्रतिवर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि (Premium Paying Term-PPT) के दौरान अर्जित होंगे
- बूस्टर इनकम बेनिफिट - PPT के बाद 5वें वर्ष के अंत में मूल बीमा राशि का 70%
- नियमित आय लाभ - भुगतान अवधि (Policy Term minus PPT) के दौरान मूल बीमा राशि का 10% प्रतिवर्ष समाप्ति पर
- मौजूदा एलआईसी पॉलिसीधारकों तथा दिवंगत पॉलिसीधारकों के नामितों/लाभार्थियों के लिए रिबेट
- राइडर लाभों के माध्यम से बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प

LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/R1/2026-27/17/Eng/SB

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/अपनी निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/www.licindia.in पर जाएं

क्यूआर कोड स्कैन करें और My LIC App डाउनलोड करें

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

हमें यहाँ फ़ॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

एलआईसी की बीमा प्लैटिनम
(यूआईएन: 512N397V01)

(एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना)

एलआईसी की बीमा प्लैटिनम एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, व्यक्तिगत, बचत योजना है, जिसमें बचत और सुरक्षा का आकर्षक संयोजन मिलता है। यह एक सीमित प्रीमियम भुगतान योजना है, जिसमें प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) के दौरान गारंटीकृत अभिवृद्धि का संचय होता है। यह योजना बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, यह भुगतान अवधि के दौरान जीवित रहने पर नियमित आय हितलाभ और बूस्टर आय हितलाभ के रूप में आय हितलाभ भी प्रदान करती है, साथ ही इसके अंतर्गत पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक जीवित रहने पर एकमुश्त हितलाभ भी देय होता है।

यह एक असहभागी उत्पाद है, जिसके अंतर्गत मृत्यु या उत्तरजीविता पर देय हितलाभ वास्तविक अनुभव पर बगैर ध्यान दिए, गारंटीकृत और निश्चित होते हैं। इसलिए यह पॉलिसी बोनस आदि या अधिशेष में हिस्सेदारी जैसे किसी भी विवेकाधीन लाभ में हिस्सेदारी की हकदार नहीं है।

यह योजना लाइसेंसधारी अभिकर्ता, कॉर्पोरेट अभिकर्ता, ब्रोकर, बीमा विपणन फर्म, पॉइंट ऑफ़ सेल्स पर्सन्स–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई), कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी–एसपीवी) के माध्यम से ऑफलाइन तथा सीधे वेबसाइट **www.licindia.in** के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदी जा सकती है।

संभावित पॉलिसीधारकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पॉलिसी खरीदने संबंधी निर्णय लेते समय उत्पाद की विशेषताओं, संबद्ध जोखिमों व हितलाभों को ध्यान में रखा जा सकता है तथा उत्पाद/विकल्प का चयन किया जाना चाहिए, जो उनकी आवश्यकताओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो।

1. मुख्य विशेषताएं

- यह योजना सुरक्षा व बचत दोनों प्रदान करती है।
- प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार रूपये पर रु. 70 की गारंटीकृत अभिवृद्धि प्रदान की जाती है।
- भुगतान अवधि के दौरान जीवित रहने पर मूल बीमा राशि के 10% के बराबर नियमित आय हितलाभ प्रदान किया जाता है। भुगतान अवधि, पॉलिसी अवधि में से पीपीटी घटाने पर प्राप्त अवधि के बराबर होगी।

- (पीपीटी+5)वें वर्ष की समाप्ति पर जीवित रहने पर मूल बीमा राशि के 70% के बराबर बूस्टर आय हितलाभ प्रदान किया जाता है।
- नियमित आय हितलाभ और/अथवा बूस्टर आय हितलाभ को आस्थगित करने का विकल्प
- निम्नलिखित हेतु लचीलापन :
  - उपलब्ध विकल्पों में से प्रीमियम भुगतान अवधि चुनना : 7, 10, 12, 15 या 18 वर्ष।
  - परिपक्वता हितलाभ/मृत्यु हितलाभ का भुगतान किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प चुनना।
- राइडर हितलाभों के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर राइडर हितलाभ चुनकर बीमा सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।
- उच्च बीमा राशि पर आकर्षक प्रोत्साहन राशि का लाभ।
- ऋण सुविधा के माध्यम से नकदीकरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति।

2. पात्रता शर्तें व अन्य प्रतिबंध

ए)	प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी)	7, 10, 12, 15 और 18 वर्ष।
बी)	प्रवेश पर आयु	(table below)

पीपीटी (वर्ष)	**न्यूनतम प्रवेश आयु**	**अधिकतम प्रवेश आयु***
7	11 वर्ष (पिछला जन्मदिन)	55 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
10	8 वर्ष (पिछला जन्मदिन)	55 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
12	6 वर्ष (पिछला जन्मदिन)	53 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
15	3 वर्ष (पिछला जन्मदिन)	50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
18	30 दिन (पूर्णकृत)	47 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)

*(पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से ली गई पॉलिसियों के मामले में।) (65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) में से पॉलिसी अवधि घटाकर)

<table>
<tr><td>सी)</td><td>परिपक्वता पर न्यूनतम आयु</td><td>28 वर्ष (पूर्णकृत)</td></tr>
<tr><td>डी)</td><td>परिपक्वता पर अधिकतम आयु</td><td>75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)
पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से ली गई पॉलिसियों के लिए 65 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)</td></tr>
<tr><td>ई)</td><td>पॉलिसी अवधि</td><td><table><tr><th>पीपीटी (वर्ष)</th><th>न्यूनतम पॉलिसी अवधि</th><th>अधिकतम पॉलिसी अवधि*</th></tr><tr><td>7</td><td>17 वर्ष</td><td>40 वर्ष</td></tr><tr><td>10</td><td>20 वर्ष</td><td>40 वर्ष</td></tr><tr><td>12</td><td>22 वर्ष</td><td>40 वर्ष</td></tr><tr><td>15</td><td>25 वर्ष</td><td>40 वर्ष</td></tr><tr><td>18</td><td>28 वर्ष</td><td>40 वर्ष</td></tr></table>*अधिकतम पॉलिसी अवधि, 75 वर्ष की अधिकतम परिपक्वता आयु के अधीन होगी।
पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के मामले में, अधिकतम पॉलिसी अवधि 20 वर्ष होगी, जो 65 वर्ष की अधिकतम परिपक्वता आयु के अधीन होगी।</td></tr>
<tr><td>एफ)</td><td>भुगतान अवधि</td><td>पॉलिसी अवधि में से पीपीटी घटाकर</td></tr>
<tr><td>जी)</td><td>न्यूनतम मूल बीमा राशि</td><td>रु. 3,00,000</td></tr>
<tr><td>एच)</td><td>अधिकतम मूल बीमा राशि</td><td>कोई सीमा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम मूल बीमा राशि, बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अनुसार जोखिमांकन निर्णय के अधीन होगी।</td></tr>
<tr><td>आई)</td><td>मूल बीमा राशि के गुणक</td><td>मूल बीमा राशि, रु. 10,000/– के गुणकों में होगी।</td></tr>
</table>

जोखिम प्रारंभ होने की तिथि :

यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम हो, तो इस योजना के अंतर्गत जोखिम, पॉलिसी प्रारंभ की तिथि से 2 वर्ष पश्चात अथवा 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ या उसके तत्काल बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से, इनमें से जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। प्रवेश पर 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्तियों के लिए जोखिम, जोखिम स्वीकृति की तिथि यानी पॉलिसी जारी होने की तिथि से तत्काल प्रारंभ होगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि :

यदि पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की गई हो, तो पॉलिसी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के साथ या उसके तत्काल बाद आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ पर स्वतः

बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी तथा ऐसे निहित होने पर वह निगम व बीमित व्यक्ति के बीच अनुबंध मानी जाएगी।

3. हितलाभ

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ (जहाँ सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो) निम्नानुसार होंगे :

ए. मृत्यु हितलाभ :

पॉलिसी अवधि के दौरान जोखिम के प्रारंभ की तिथि के पश्चात, किंतु परिपक्वता की नियत तिथि से पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, देय मृत्यु हितलाभ, चालू पॉलिसी के लिए संचित गारंटीकृत अभिवृद्धि सहित **''मृत्यु पर बीमा राशि''** होगा; जहाँ, **''मृत्यु पर बीमा राशि''** को वार्षिकीकृत प्रीमियम के 11 गुना या मूल बीमा राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक ''कुल भुगतान की गई प्रीमियम'' के 105% से कम नहीं होगा। किसी भी स्थिति में, मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि को गणना किए गए अभ्यर्पण मूल्य से कम नहीं होगा।

हालाँकि, अवयस्क बीमित व्यक्ति, जिसकी प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम है, के मामले में, जोखिम के प्रारंभ की तिथि से पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, पॉलिसी के चालू रहने पर देय मृत्यु हितलाभ, बिना ब्याज के ''कुल भुगतान की गई प्रीमियम'' की वापसी होगा।

जहाँ,

i. **''वार्षिक प्रीमियम''** एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग शामिल नहीं होगी।

ii. **''कुल भुगतान की गई प्रीमियम''** से तात्पर्य मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई समस्त प्रीमियमों के योग से है, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम, तथा कर, यदि ये स्पष्ट रूप से वसूल किए गए हों, सम्मिलित नहीं हैं। यदि एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर चुना गया है, तो प्रस्तावक की मृत्यु होने की स्थिति में, माफ की गई कोई भी बाद की प्रीमियम, यथासमय प्राप्त हुई मानी जाएगी और कुल भुगतान की गई प्रीमियम में सम्मिलित की जाएगी।

बी. आय हितलाभ :

आय हितलाभ, जिसमें नियमित आय हितलाभ और बूस्टर आय हितलाभ सम्मिलित हैं, नीचे बताए अनुसार भुगतान अवधि के दौरान निर्दिष्ट अवधियों तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय होगा :

i. नियमित आय हितलाभ :

प्रीमियम भुगतान अवधि की समाप्ति तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, मूल बीमा राशि के 10% के बराबर नियमित आय हितलाभ देय होगा। प्रथम नियमित आय हितलाभ प्रीमियम भुगतान अवधि की समाप्ति पर देय होगा, तथा उसके बाद प्रत्येक आगामी पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर, जब तक बीमित व्यक्ति जीवित रहता है या परिपक्वता तिथि से पूर्व की पॉलिसी वर्षगाँठ तक, जो भी पहले हो, देय होगा।

ii. बूस्टर आय हितलाभ :

निर्दिष्ट पॉलिसी वर्षगाँठ पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, मूल बीमा राशि के 70% के बराबर बूस्टर आय हितलाभ देय होगा। विभिन्न प्रीमियम भुगतान अवधियों के लिए निर्दिष्ट पॉलिसी वर्षगाँठ निम्नानुसार है :

प्रीमियम भुगतान अवधि	पॉलिसी वर्षगाँठ, जिस पर बूस्टर हितलाभ देय है
7 वर्ष	12वीं पॉलिसी वर्षगाँठ
10 वर्ष	15वीं पॉलिसी वर्षगाँठ
12 वर्ष	17वीं पॉलिसी वर्षगाँठ
15 वर्ष	20वीं पॉलिसी वर्षगाँठ
18 वर्ष	23वीं पॉलिसी वर्षगाँठ

सी. परिपक्वता हितलाभ :

बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की नियत तिथि तक जीवित रहने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, चालू पॉलिसी के लिए संचित गारंटीकृत अभिवृद्धि सहित ''परिपक्वता पर बीमा राशि'' देय होगी; जहाँ ''परिपक्वता पर बीमा राशि'', मूल बीमा राशि के बराबर है।

4. चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि :

चालू पॉलिसी (जिसके अंतर्गत समस्त देय प्रीमियम भुगतान की जा चुकी है) के अंतर्गत, प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर गारंटीकृत अभिवृद्धि संचित होगी। चालू पॉलिसी के लिए गारंटीकृत

अभिवृद्धि की दर, भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर रु. 70 होगी। प्रीमियम भुगतान अवधि के पश्चात गारंटीकृत अभिवृद्धि का कोई आगामी संचय नहीं होगा।

यदि कोई पॉलिसी, अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट अनुसार गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में किसी प्रोत्साहन राशि/राशियों (अर्थात उच्च मूल बीमा राशि, विद्यमान पॉलिसीधारक तथा दिवंगत पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी या ऑनलाइन विक्रय हेतु प्रोत्साहन) के लिए पात्र है, तो पॉलिसी के अंतर्गत लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर संबंधित प्रोत्साहन राशि/राशियों द्वारा बढ़ाई जाएगी।

किसी पॉलिसी वर्ष में चालू पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि, भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम को लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर) से गुणा करने पर प्राप्त राशि के बराबर होगी।

जहाँ, ''भुगतान की गई प्रीमियम के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम'', एक वार्षिकीकृत प्रीमियम को भुगतान की गई किस्त प्रीमियमों की संख्या से गुणा करके उसे प्रीमियम भुगतान आवृत्ति से विभाजित करने पर प्राप्त राशि के बराबर होगी। प्रीमियम भुगतान आवृत्ति, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक प्रीमियम भुगतान विधि के लिए क्रमशः 1, 2, 4 और 12 होगी।

यदि एलआईसी का प्रीमियम माफी हितलाभ राइडर चुना गया है, तो प्रस्तावक की मृत्यु होने की स्थिति में, माफ की गई कोई भी आगामी प्रीमियम यथासमय प्राप्त हुई मानी जाएगी और उसे गारंटीकृत अभिवृद्धि की गणना के उद्देश्य से भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम में सम्मिलित किया जाएगा।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृत्यु के वर्ष की गारंटीकृत अभिवृद्धि संपूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए देय होगी।

5. उपलब्ध विकल्प

I. वैकल्पिक राइडर :

इस योजना के अंतर्गत, पात्रता के अधीन अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित 5 वैकल्पिक राइडर उपलब्ध होंगे। तथापि, पात्र पॉलिसीधारक नीचे विस्तार से बताई गई पात्रता के अधीन, एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और

विकलांगता हितलाभ राइडर या एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर, इन दोनों में से किसी एक को तथा/या शेष 3 राइडरों को चुन सकता है।

ए) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु व विकलांगता हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B209V02)

इस राइडर का विकल्प चालू पॉलिसी के अंतर्गत मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय, किन्तु उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पूर्व जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन की आयु 60 वर्ष हो, चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना व राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा सुरक्षा पॉलिसी अवधि के दौरान अथवा उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पूर्व, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन की आयु 70 वर्ष हो, इनमें से जो भी पहले हो, तक उपलब्ध होगी। यदि यह राइडर चुना गया हो, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर), मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर) दुर्घटनावश स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में, दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में देय होगी तथा दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भावी प्रीमियम व मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि के उस भाग के भावी प्रीमियम, जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर है, माफ कर दी जाएंगी। अवयस्क के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से उपलब्ध होगा।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B203V03)

इस राइडर का विकल्प चालू पॉलिसी के अंतर्गत मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय, किन्तु उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पूर्व, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन की आयु 60 वर्ष हो, चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना व राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा सुरक्षा केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। यदि यह राइडर चुना गया हो, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर), मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि एकमुश्त देय होगी। अवयस्क के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात आने वाली पॉलिसी वर्षगाँठ से उपलब्ध होगा।

सी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेन्स राइडर (यूआईएन : 512B210V02)

यह राइडर केवल पॉलिसी की शुरुआत में ही उपलब्ध है। इस राइडर के तहत हितलाभ कवर पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो पालिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर 'मृत्यु पर टर्म राइडर बीमा राशि' के बराबर राशि देय होगी।

डी) एलआईसी का प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B204V04)

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत, इस राइडर का विकल्प पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर (चूंकि बीमित व्यक्ति अवयस्क है), पॉलिसी वर्षगाँठ के साथ मेल खाते किसी भी समय पर, किन्तु मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चुना जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी व राइडर की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पाँच वर्ष हो। इसके अतिरिक्त, यह राइडर केवल ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत स्वीकृत होगा, जिसमें इस राइडर का विकल्प चुनते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क हो। राइडर अवधि, इस राइडर का विकल्प चुनने की तिथि के अनुसार मूल पॉलिसी की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि अथवा (25 में से घटाएँ इस राइडर का विकल्प चुनते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की आयु), इनमें से जो भी कम हो, होगी। यदि राइडर अवधि व प्रस्तावक की आयु का योग 70 वर्ष से अधिक हो, तो राइडर स्वीकृत नहीं होगा।

यदि यह राइडर चुना गया हो, तो राइडर अवधि के दौरान प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि से राइडर अवधि की समाप्ति तक मूल पॉलिसी के संदर्भ में देय प्रीमियमों का भुगतान माफ कर दिया जाएगा। तथापि, ऐसी स्थिति में, यदि मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि राइडर अवधि से अधिक हो, तो इस प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर की अवधि समाप्त होने की तिथि से मूल पॉलिसी के अंतर्गत भविष्य में देय सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसी प्रीमियमों का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता हो जाएगी।

ई) एलआईसी का क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर (यूआईएन : 512B227V01) :

यह राइडर केवल पॉलिसी के प्रारंभ में उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत निम्नलिखित दो विकल्प उपलब्ध हैं :

विकल्प 1 : 15 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ

विकल्प 2 : असिस्टेड लिविंग बेनेफिट (एएलबी) सहित 40 प्रमुख गंभीर बीमारियाँ

इस राइडर के अंतर्गत बीमा–सुरक्षा, राइडर अवधि के दौरान उपलब्ध होगी। अधिकतम राइडर अवधि 25 वर्ष के बराबर होगी, जो अधिकतम 75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) की बीमा–सुरक्षा समाप्ति आयु या मूल योजना के अंतर्गत पॉलिसी अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, के अधीन होगी। यदि यह राइडर चुना जाता है, तो शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, इस राइडर के अंतर्गत बीमा–रक्षित की गई निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों में से किसी एक का निदान होने पर, गंभीर बीमारी बीमा राशि देय होगी। हालाँकि, विकल्प 2 के अंतर्गत, यदि निर्दिष्ट 7 गंभीर बीमारियों में से किसी का निदान होता है, तो बीमित व्यक्ति के जीवित रहने की परवाह किए बिना और भले ही 36 महीनों की यह अवधि पॉलिसी अवधि से आगे चली जाए, सहायित जीवन यापन हितलाभ (एएलबी) महीनों के रूप में गंभीर बीमारी बीमा राशि के 1% के मासिक भुगतान के रूप में एक अतिरिक्त हितलाभ 36 महीनों के लिए देय होगा।

एलआईसी के क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर से संबंधित प्रीमियम मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी जीवन बीमा राइडरों के अंतर्गत प्रीमियमों का योग मिलकर आधार उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियमों के 30% से अधिक नहीं होगा।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संदर्भ में राइडर बीमा राशि, मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। तथापि, अन्य सभी राइडरों में से प्रत्येक के अंतर्गत कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपर्युक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें अथवा एलआईसी की निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों की स्थिति में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।

II. नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ को आस्थगित करने का विकल्प :

चालू तथा चुकता पॉलिसी दोनों के अंतर्गत, पॉलिसीधारक को, यथालागू नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ की देय तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके, समस्त भावी नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ को अधिकतम परिपक्वता तिथि तक आस्थगित करने का विकल्प होगा। यह विकल्प केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है, जब

पॉलिसी के अंतर्गत कोई ऋण बकाया न हो। इसके अतिरिक्त, बीमित व्यक्ति लिखित अनुरोध पर पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय इस विकल्प को निरस्त कर सकता है। इस विकल्प को निरस्त करने पर, निरस्तीकरण की तिथि के पश्चात देय होने वाला समस्त नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ, यदि कोई हो, उनकी संबंधित देय तिथि पर भुगतान किया जाएगा। तथापि, निरस्तीकरण की तिथि तक आस्थगित नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ, यदि कोई हो, संचित होता रहेगा।

बीमित व्यक्ति द्वारा लिखित अनुरोध पर, परिपक्वता तिथि से पहले किसी भी समय संपूर्ण संचित नियमित आय हितलाभ और/या संपूर्ण संचित बूस्टर आय हितलाभ, यदि कोई हो, को एकमुश्त राशि के रूप में आहरित किया जा सकता है। तथापि, ऐसे आहरण पर, सभी भावी आय हितलाभ तब तक संचित होते रहेंगे, जब तक बीमित व्यक्ति आस्थगन विकल्प को निरस्त करने का विकल्प नहीं चुनता।

आस्थगन विकल्प के निरस्तीकरण के पश्चात, बीमित व्यक्ति उपर्युक्त नियमों और शर्तों के अधीन, किसी भी समय भावी आय हितलाभ को आस्थगित करने का विकल्प पुनः चुन सकता है।

आस्थगित नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ संचित किया जाएगा और प्रत्येक आस्थगित नियमित/बूस्टर आय हितलाभ के लिए संचयन की दर निम्नानुसार होगी :

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 माह की अवधि के दौरान देय होने वाले और आस्थगित किए जाने वाले समस्त नियमित आय हितलाभ/बूस्टर आय हितलाभ के लिए, संचयन की वार्षिक प्रभावी दर, 5 वर्षीय अर्धवार्षिक जी–सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष में से 1% घटाकर उसके बराबर होगी; जहाँ, 5 वर्षीय अर्धवार्षिक जी–सेक प्रतिफल, पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा। तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक की 12 माह की अवधि के दौरान देय होने वाले और आस्थगित किए जाने वाले नियमित आय हितलाभ/बूस्टर आय हितलाभ के लिए लागू वार्षिक प्रभावी संचयन दर 5.78% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

आस्थगित किए जाने हेतु चुने गए प्रत्येक नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ के लिए लागू संचयन दर, संबंधित नियमित आय हितलाभ/बूस्टर आय हितलाभ की देय तिथि से लेकर संचित हितलाभ की निकासी की तिथि या पॉलिसी समापन की तिथि तक, जो भी पहले हो, संपूर्ण अवधि के लिए स्थिर रहेगी। संचित मूल्य की गणना पूर्ण महीनों में की जाएगी और महीने के किसी भी अपूर्ण अंश को अनदेखा किया जाएगा।

यदि पॉलिसीधारक प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान पॉलिसी ऋण के लिए आवेदन करता है, तो नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ को आस्थगित करने का कोई भी पूर्व अनुरोध निरस्त माना जाएगा, और उसके पश्चात कोई भी आय हितलाभ आस्थगित नहीं किया जाएगा।

यदि पॉलिसी के अंतर्गत आय हितलाभ का आस्थगन प्रारंभ हो चुका है और पॉलिसीधारक बाद में पॉलिसी ऋण का विकल्प चुनता है, तो पॉलिसी ऋण की तिथि को या उसके पश्चात देय होने वाला कोई भी आय हितलाभ संचित होना बंद हो जाएगा और पहले बकाया ऋण और ऋण पर ब्याज, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। ऐसे समायोजन के पश्चात शेष रहने वाली आय हितलाभ की किसी भी शेष राशि, यदि कोई हो, का भुगतान बीमित व्यक्ति को संबंधित नियत तिथि पर किया जाएगा। हालाँकि, पॉलिसी ऋण की तिथि तक संचित आय हितलाभ, पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार संचित होना जारी रखेगा।

यदि चुकता पॉलिसी के अंतर्गत आय हितलाभ का आस्थगन शुरू हो चुका है और ऐसी चुकता पॉलिसी के बादमें पुनर्चलन पर, चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण नियमित आय हितलाभ तथा चुकता पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए पहले से आस्थगित नियमित आय हितलाभ के बीच का अंतर, यदि कोई हो, आस्थगित नहीं किया जाएगा और पॉलिसी के पुनर्चलन पर पॉलिसीधारक को एकमुश्त राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा।

आस्थगित नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ के संबंध में शेष संचित राशि, यदि कोई हो, मृत्यु या परिपक्वता या अभ्यर्पण, जो भी पहले हो, के रूप में पॉलिसी के समापन के समय देय हितलाभों के साथ देय होगी।

III. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए) :

निपटान विकल्प, चालू तथा चुकता पॉलिसी, दोनों के अंतर्गत परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बजाय चुनी गई 5 या 10 या 15 वर्ष की अवधि में किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। यह विकल्प, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता प्राप्तियों के पूर्ण या आंशिक भाग हेतु प्रयोग किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात निवल दावा राशि), या तो पूर्ण मूल्य में या कुल देय दावा प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए विकल्प के अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा।

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5,000/-
तिमाही	रु.15,000/-
छमाही	रु.25,000/-
वार्षिक	रु.50,000/-

अगर दावे की कुल शुद्ध राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो दावा राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक रूप से प्रभावी दर होगी जो 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा।

तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.11% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ के बदले में निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की नियत तिथि से कम से कम 3 महीने पहले शुद्ध दावा राशि के किस्तों में भुगतान के विकल्प का प्रयोग करना आवश्यक होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद, पॉलिसीधारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान विधि के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक माह या तीन माह या छह माह या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान प्रारंभ होने के बाद:

ए) यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के बदले निपटान विकल्प का उपयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेना चाहता है तथा बकाया किस्तों

को एकमुश्त चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, निम्नांकित में से जो भी अधिक होगी, उस राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा तथा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

- सभी भावी देय किस्तों का रियायती मूल्य; या
- (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प का उपयोग किया गया था) **में से घटाएँ** (पहले से भुगतान की गई कुल किस्तों की राशि);

बी) भावी किस्तों के भुगतान में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली लागू ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्षीय अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल से अधिक नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध–वार्षिक जी–सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा, जिसके दौरान निपटान विकल्प शुरू हुआ था।

तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के दौरान प्रारंभ होने वाले सभी निपटान विकल्पों के संदर्भ में, भविष्य की किस्तों को कम करने के लिए प्रयुक्त अधिकतम लागू ब्याज दर 7.11% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

सी) परिपक्वता की तिथि के बाद, निपटान विकल्प का उपयोग करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामिती को बकाया किस्तों का भुगतान जारी रहेगा तथा इसमें नामिती को किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

IV. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प :

यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने पर या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान चयनित विकल्प के अनुसार वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए निम्नानुसार न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगी:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु.5,000/-
तिमाही	रु.15,000/-
छमाही	रु.25,000/-
वार्षिक	रु.50,000/-

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है तो दावा प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त रूप में ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी जो 10 साल की अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल माइनस 2% से कम नहीं होगी; जहां, 10 वर्षीय अर्ध-वार्षिक जी-सेक प्रतिफल पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगा।

तदनुसार, 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के लिए किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 5.11% प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

मृत्यु हितलाभ किस्तों में प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान पॉलिसीधारक अथवा वयस्क होने पर बीमित व्यक्ति, पॉलिसी की विद्यमानता के अंतर्गत अपने जीवनकाल के दौरान किस्त भुगतान की अवधि व जिस शुद्ध दावा राशि के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है, निर्दिष्ट करते हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकता/सकती है। तदुपरांत मृत्यु दावा राशि का भुगतान नामित व्यक्ति को पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार किया जाएगा तथा नामित व्यक्ति को इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. प्रीमियमों का भुगतान

प्रीमियमों का भुगतान वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतराल की प्रीमियम भुगतान विधि के साथ नियमित रूप से (मासिक प्रीमियम केवल ई-एनएसीएच/एनएसीएच के माध्यम से) या वेतन कटौती (एसएसएस) के माध्यम से किया जा सकता है।

7. अनुग्रह अवधि

वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार

बिना किसी रुकावट के जोखिम कवर के साथ चालू माना जाएगा। यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपर्युक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी जो मूल पॉलिसी के प्रीमियम के साथ देय हैं।

8. नमूना उदाहरणार्थ प्रीमियम

ऑफलाइन विक्रय के माध्यम से बेची जाने वाली पॉलिसियों के लिए, रु. 3 लाख की मूल बीमा राशि और 30 वर्ष की पॉलिसी अवधि हेतु मानक जीवन के लिए नमूना उदाहरणार्थ वार्षिक प्रीमियम निम्नानुसार हैं :

(राशि रु. में)

आयु (निकटतम जन्मदिन)	प्रीमियम भुगतान अवधि				
	7	10	12	15	18
15	81,810	54,735	43,020	32,145	24,990
25	83,145	55,275	43,290	32,220	25,005
35	87,495	57,015	44,160	32,445	25,005
45	1,00,365	62,025	46,770	33,465	25,425

उपर्युक्त प्रीमियम लागू करों, यदि कोई हों, को छोड़कर हैं।

9. विभिन्न प्रीमियम भुगतान विधियों के लिए प्रीमियम रूपांतरण कारक

विभिन्न प्रीमियम भुगतान विधियों के लिए प्रीमियम रूपांतरण कारक निम्नानुसार है :

प्रीमियम भुगतान विधि	प्रीमियम रूपांतरण कारक
वार्षिक	1.0000
अर्धवार्षिक	0.5090
त्रैमासिक	0.2568
मासिक	0.0861

वार्षिक के अतिरिक्त अन्य विधियों में देय प्रीमियम की गणना परिकलित वार्षिक प्रीमियम को प्रयोज्य प्रीमियम रूपांतरण कारक से गुणा करके की जाएगी।

10. प्रोत्साहन राशियाँ

I. उच्च मूल बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि :

उच्च मूल बीमा राशि (बीएसए) के लिए प्रोत्साहन राशि, गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में अनुमत होगी। भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल

वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर गारंटीकृत अभिवृद्धि के रूप में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी :

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्ष)	**उच्च बीमा राशि के लिए प्रोत्साहन राशि (भुगतान किए गए प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर)**			
	मूल बीमा राशि (रु.)			
	3,00,000 से 5,00,000 से कम तक	5,00,000 से 7,00,000 से कम तक	7,00,000 से 10,00,000 से कम तक	10,00,000 व उससे अधिक
7	शून्य	3.00	6.00	8.00
10	शून्य	4.00	7.00	9.00
12	शून्य	5.00	8.00	10.00
15	शून्य	6.00	10.00	12.00
18	शून्य	7.00	12.00	15.00

II. ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि :

अभिकर्ता/मध्यस्थ की किसी सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्ण किए गए प्रस्ताव, मूल योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। प्रोत्साहन राशि, गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में होगी। भुगतान किए गए प्रीमियमों के संबंध में कुल तालिकाबद्ध वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर गारंटीकृत अभिवृद्धि के रूप में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी :

प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्ष)	**गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (भुगतान किए गए प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर)**
7	30.00
10	30.00
12	24.00
15	22.00
18	20.00

III. विद्यमान पॉलिसीधारक तथा दिवंगत पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी के लिए प्रोत्साहन राशि :

प्रोत्साहन राशि, गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर में वृद्धि के रूप में होगी। दिवंगत पॉलिसीधारक के नामिती या लाभार्थी सहित विद्यमान पॉलिसीधारकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए, मूल योजना हेतु भुगतान किए गए प्रीमियमों के संबंध में कुल तालिकाबद्ध वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर गारंटीकृत अभिवृद्धि के रूप में प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार होगी :

<table>
<tr><th>पॉलिसीधारक की श्रेणी</th><th>प्रोत्साहन राशि</th></tr>
<tr><td>यदि किसी विद्यमान पॉलिसीधारक की निगम के साथ कोई पॉलिसी है, जो इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष पूर्व परिपक्व हुई है, और वह इस योजना को अपने जीवन पर और/या परिवार के किसी सदस्य* के जीवन पर खरीदता है;
या
यदि यह योजना निगम के दिवंगत पॉलिसीधारक के नामिती/लाभार्थी द्वारा खरीदी जाती है, जहाँ मृत्यु की तिथि इस उत्पाद के अंतर्गत प्रस्ताव के पंजीकरण से एक वर्ष पूर्व की है;
या
यदि यह योजना निगम के साथ चालू पॉलिसी रखने वाले किसी विद्यमान पॉलिसीधारक द्वारा खरीदी जाती है।
(*परिवार के सदस्यों से तात्पर्य दादा-दादी/नाना-नानी, माता-पिता, पति/पत्नी, संतान या नाती-नातिन से है)</td><td>
<table>
<tr><th>पीपीटी (वर्ष)</th><th>गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर)</th></tr>
<tr><td>7</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>10</td><td>1.25</td></tr>
<tr><td>12</td><td>1.50</td></tr>
<tr><td>15</td><td>1.75</td></tr>
<tr><td>18</td><td>2.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

11. पुनर्चलन

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। कालातीत पॉलिसी का पुनर्चलन, जो भी लागू हो, अदत्त पहली प्रीमियम की तिथि से 5 लगातार पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर, किन्तु परिपक्वता

तिथि से पूर्व किया जा सकता है। पुनर्चलन, सभी बकाया प्रीमियम(मों) का भुगतान, निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर ब्याज (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) सहित करने पर तथा निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार पुनर्चलन के समय पहले से उपलब्ध सूचना, दस्तावेज़ों व रिपोर्टों के आधार पर और इस संबंध में जब जैसी आवश्यकता हो, कोई अतिरिक्त सूचना, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर चुना गया हो) की निरंतर बीमायोग्यता की संतुष्टि के आधार पर प्रभावी होगा।

निगम पॉलिसी को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या बंद की गई पॉलिसी के पुनर्चलन से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद की गई पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकार कर लिया हो और पुनर्चलन रसीद जारी कर दी गई हो।

इस योजना के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में 3% जोड़कर, या निगम के असंबद्ध, असहभागी फंड पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय गारंटीकृत अभिवृद्धि और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत घटाई गई गारंटीकृत अभिवृद्धि के बीच का अंतर, यदि कोई हो, पॉलिसी के पुनर्चलन पर प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान भी संचित होगा।

यदि पुनर्चलन अवधि प्रीमियम भुगतान अवधि से आगे पड़ती है और नियमित आय हितलाभ की देय तिथि के पश्चात पॉलिसी का पुनर्चलन किया जाता है, तो चुकता पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण नियमित आय हितलाभ और पहले से भुगतान की गई/आस्थगित नियमित आय हितलाभ (यदि चुकता पॉलिसी के अंतर्गत आय हितलाभ का आस्थगन प्रारंभ हो चुका है) के बीच का अंतर, पॉलिसीधारक को एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

राइडर(रों), यदि चुने गए हों, का पुनर्चलन केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचारणीय होगा, अलग से नहीं।

12. पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन–लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी–एलआई) और सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से खरीदी गई योजना

यह योजना पीओएसपी–एलआई व सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रय की जा सकती है। तथापि, ऐसी स्थितियों में पात्रता शर्तें व अन्य नियम व शर्तें, पीओएस योजनाओं व पीओएसपी–एलआई पर लागू, आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशा–

निर्देशों, परिपत्रों व विनियमों आदि के अनुसार होंगी। वर्तमान में पीओएसपी–एलआई व सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं :

- प्रवेश के समय अधिकतम आयु : 65 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु) में से घटाएँ पॉलिसी अवधि
- परिपक्वता पर अधिकतम आयु : 65 वर्ष (जन्मदिन के निकट की आयु)
- अधिकतम पॉलिसी अवधि : 20 वर्ष
- मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि (प्रति जीवन) : प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुमेय मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि, इस योजना के संबंध में निगम की जोखिमांकन नीति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत गैर–चिकित्सा सीमाओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

  एलआईसी की बीमा प्लैटिनम योजना, यदि उसे पीओएसपी–एलआई या सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रय किया हो, तो पीओएस–जीवन उत्पादों की असंबद्ध, असहभागी, एंडोमेंट श्रेणी के अंतर्गत आती है। पीओएसपी–एलआई व सीपीएससी–एसपीवी चैनल (दोनों सम्मिलित) के माध्यम से असंबद्ध, असहभागी, एंडोमेंट उत्पादों की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को अनुमत अधिकतम मृत्यु पर बीमा राशि रु. 25 लाख होगी।

  हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि निगम की जोखिमॉकन नीति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत गैर–चिकित्सा सीमाओं के अनुसार तय की जाएगी।
- पीओएसपी–एलआई/सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से प्राप्त पॉलिसियों के मामले में कोई राइडर उपलब्ध नहीं होगा।
- एलआईसी के बीमा प्लैटिनम पर लागू मुख्य विशेषता दस्तावेज़ (केएफडी) सह प्रस्ताव प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा, यदि विक्रय पीओएसपी–एलआई व सीपीएससी–एसपीवी द्वारा प्रारंभ किया जाता है।

13. चुकता मूल्य

यदि इस पॉलिसी के संदर्भ में एक पूर्ण वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो तथा परवर्ती कोई भी प्रीमियम समय पर न भरा गया हो, तो अदत्त पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के पश्चात इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ समाप्त हो जाएंगे तथा कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान करने के पश्चात, परवर्ती कोई भी प्रीमियम समय पर न भरा गया हो, तो प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर यह पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक चुकता पॉलिसी के रूप में विद्यमान रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **मृत्यु पर बीमा राशि** को घटाकर एक ऐसी राशि कर दी जाएगी, जिसे **'मृत्यु चुकता बीमा राशि'** कहा जाएगा, तथा यह मृत्यु पर बीमा राशि को पहले से भुगतान की गई प्रीमियमों की कुल अवधि व मूल रूप से देय प्रीमियमों की अधिकतम अवधि के अनुपात से गुणा करके प्राप्त की जाएगी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु हितलाभ, चुकता पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है) सहित मृत्यु चुकता बीमा राशि होगी। यह मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा।

तथापि, बीमित व्यक्ति अवयस्क होने की स्थिति में, जहाँ पॉलिसी जोखिम प्रारंभ की तिथि से पूर्व चुकता हो जाती है, ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ, कुल भुगतान किए गए प्रीमियमों (करों, बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार किसी भी अतिरिक्त राशि व राइडर प्रीमियम(मों), यदि कोई हो, को छोड़कर) की बिना ब्याज के वापसी होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत **परिपक्वता पर बीमा राशि** को घटाकर एक ऐसी राशि कर दी जाएगी, जिसे **'परिपक्वता चुकता बीमा राशि'** कहा जाएगा, तथा यह परिपक्वता पर बीमा राशि को पहले से भुगतान की गई प्रीमियमों की कुल अवधि व मूल रूप से देय प्रीमियमों की अधिकतम अवधि के अनुपात से गुणा करके प्राप्त की जाएगी। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि की समाप्ति पर देय परिपक्वता हितलाभ, चुकता पॉलिसी के लिए अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है) सहित परिपक्वता चुकता बीमा राशि होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत नियमित आय हितलाभ, चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय नियमित आय हितलाभ को उस अनुपात से गुणा करने पर प्राप्त राशि के बराबर होगा, जो उस कुल अवधि, जिसके लिए प्रीमियम पहले ही भुगतान की जा चुकी है, का उस अधिकतम अवधि से है, जिसके लिए प्रीमियम मूलतः देय था। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत यह नियमित आय हितलाभ, अनुच्छेद 3.बी.1) में बताए अनुसार भुगतान अवधि के दौरान निर्दिष्ट अवधि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय होगा।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत बूस्टर आय हितलाभ, चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय बूस्टर आय हितलाभ को उस अनुपात से गुणा करने पर प्राप्त राशि के बराबर होगा जो कुल अवधि, जिसके लिए प्रीमियम पहले ही भुगतान किया जा चुका है, का उस अधिकतम अवधि से है, जिसके लिए प्रीमियम मूलतः देय था। चुकता पॉलिसी के अंतर्गत यह बूस्टर आय हितलाभ, अनुच्छेद 3.बी.2) में बताए अनुसार निर्दिष्ट पॉलिसी वर्षगाँठ पर बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर देय होगा।

हालाँकि, यदि नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ को आस्थगित करने के विकल्प का उपयोग किया गया है और ऐसा नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ, जो देय था किंतु अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसे हितलाभ/हितलाभों का संचित मूल्य, यदि कोई हो, अनुच्छेद 5.2 में निर्दिष्ट अनुसार,

संचित राशि की निकासी पर देय होगा, यदि पॉलिसीधारक द्वारा ऐसी निकासी का विकल्प चुना गया है, या यदि ऐसी कोई निकासी नहीं की गई है, तो मृत्यु या परिपक्वता या अभ्यर्पण के रूप में पॉलिसी के समापन के समय, जो भी पहले हो, देय हितलाभ के साथ देय होगा।

चुकता पॉलिसी के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि :

प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) के दौरान चुकता पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धि निम्नलिखित का योग होगी :

ए. उस अवधि के लिए, जिसमें पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो : पॉलिसी के अंतर्गत चालू पॉलिसी के लिए लागू दर से अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पॉलिसी से संलग्न रहेगी।

बी. उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो (जिस वर्ष पॉलिसी चुकता होती है) तथा अनुवर्ती पॉलिसी वर्षों के लिए : गारंटीकृत अभिवृद्धि निम्नानुसार होगी :

(i) उस पॉलिसी वर्ष के लिए, जिसमें पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो, गारंटीकृत अभिवृद्धि उस पॉलिसी वर्ष के अंत में अर्जित होगी तथा यह चालू अवधि के लिए चालू पॉलिसी पर लागू दर से आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि व पॉलिसी की चुकता अवधि के लिए चुकता पॉलिसी पर लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (जैसा कि नीचे उल्लेखित है) से आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि का योग होगी।

(ii) प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) के दौरान आगामी पॉलिसी वर्षों के लिए, गारंटीकृत अभिवृद्धि, चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (जैसा नीचे उल्लेखित है) के साथ प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर संचित होगी।

चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर, चालू पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (जैसा कि अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट है) को उस अनुपात से गुणा करने पर प्राप्त होगी, जो कुल अवधि, जिसके लिए प्रीमियम पहले ही भुगतान किया जा चुका है, का उस अधिकतम अवधि से है, जिसके लिए प्रीमियम मूलतः देय था। चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की यह दर, प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) के दौरान चुकता पॉलिसी के अंतर्गत समान रहेगी।

प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर संचित होने वाली चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि, भुगतान की गई प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम को चुकता पॉलिसी के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि की दर (भुगतान किए गए प्रीमियमों के संबंध में कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम के प्रति हजार पर) से गुणा करने पर प्राप्त राशि के बराबर

होगी और प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान चुकता पॉलिसी के अंतर्गत समान रहेगी। प्रीमियम भुगतान अवधि के पश्चात गारंटीकृत अभिवृद्धि का कोई आगामी संचय नहीं होगा।

प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु होने की स्थिति में, जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी में मृत्यु दावा हुआ है, उस पॉलिसी वर्ष के लिए लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि, उस पॉलिसी वर्ष के पूर्ण महीनों के अनुपात में (अर्थात मृत्यु की तिथि तक की अवधि के लिए) आनुपातिक आधार पर जोड़ी जाएगी।

राइडर(रों) का कोई चुकता मूल्य अर्जित नहीं होगा और यदि पॉलिसी कालातीत स्थिति में है, तो राइडर हितलाभ लागू होना बंद हो जाएंगे।

14. अभ्यर्पण

प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जा सकता है, बशर्ते पॉलिसी धारक द्वारा एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम का भुगतान किया गया हो

चालू अथवा चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम निम्नलिखित में से जो भी अधिक होगा, उसका अभ्यर्पण मूल्य के रूप में भुगतान करेगा

(ए) गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य व किसी भी अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य; या

(बी) विशेष अभ्यर्पण मूल्य।

कम से कम दो लगातार वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करने पर पॉलिसी एक गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य अर्जित करेगी। पॉलिसी अवधि के दौरान देय गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कुल भुगतान किया गया प्रीमियम (जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम, चुने गए राइडर प्रीमियम(मों) और स्पष्ट रूप से वसूले गए कर सम्मिलित नहीं हैं) को कुल भुगतान किए गए प्रीमियम पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक से गुणा करने पर प्राप्त राशि में से पहले से भुगतान किए गए किसी आय हितलाभ को घटाने पर प्राप्त राशि होगी।

पहले से भुगतान किए गए उपर्युक्त आय हितलाभ में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ, जो देय थे और भुगतान योग्य/भुगतान किए गए थे;
- नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ, जो देय थे और आस्थगित किए गए थे, यदि नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ को आस्थगित करने का विकल्प प्रयोग किया गया है;

कुल भुगतान किए गए प्रीमियमों पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक, पॉलिसी अवधि व जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है उस पर निर्भर करेंगे तथा ये निम्नानुसार हैं :

कुल भुगतान किए गए प्रीमियमों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि →																						
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%	51.67%	51.58%	51.50%	51.43%	51.36%	51.30%	51.25%	51.20%	51.15%	51.11%	51.07%	51.03%	51.00%	50.97%	50.94%
9	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%	53.33%	53.16%	53.00%	52.86%	52.73%	52.61%	52.50%	52.40%	52.31%	52.22%	52.14%	52.07%	52.00%	51.94%	51.88%
10	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%	55.00%	54.74%	54.50%	54.29%	54.09%	53.91%	53.75%	53.60%	53.46%	53.33%	53.21%	53.10%	53.00%	52.90%	52.81%
11	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%	56.67%	56.32%	56.00%	55.71%	55.45%	55.22%	55.00%	54.80%	54.62%	54.44%	54.29%	54.14%	54.00%	53.87%	53.75%
12	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%	58.33%	57.89%	57.50%	57.14%	56.82%	56.52%	56.25%	56.00%	55.77%	55.56%	55.36%	55.17%	55.00%	54.84%	54.69%
13	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%	60.00%	59.47%	59.00%	58.57%	58.18%	57.83%	57.50%	57.20%	56.92%	56.67%	56.43%	56.21%	56.00%	55.81%	55.63%
14	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%	61.67%	61.05%	60.50%	60.00%	59.55%	59.13%	58.75%	58.40%	58.08%	57.78%	57.50%	57.24%	57.00%	56.77%	56.56%
15	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%	63.33%	62.63%	62.00%	61.43%	60.91%	60.43%	60.00%	59.60%	59.23%	58.89%	58.57%	58.28%	58.00%	57.74%	57.50%
16	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%	65.00%	64.21%	63.50%	62.86%	62.27%	61.74%	61.25%	60.80%	60.38%	60.00%	59.64%	59.31%	59.00%	58.71%	58.44%
17	90.00%	90.00%	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%	66.67%	65.79%	65.00%	64.29%	63.64%	63.04%	62.50%	62.00%	61.54%	61.11%	60.71%	60.34%	60.00%	59.68%	59.38%
18		90.00%	90.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%	68.33%	67.37%	66.50%	65.71%	65.00%	64.35%	63.75%	63.20%	62.69%	62.22%	61.79%	61.38%	61.00%	60.65%	60.31%
19			90.00%	90.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%	70.00%	68.95%	68.00%	67.14%	66.36%	65.65%	65.00%	64.40%	63.85%	63.33%	62.86%	62.41%	62.00%	61.61%	61.25%
20				90.00%	90.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%	71.67%	70.53%	69.50%	68.57%	67.73%	66.96%	66.25%	65.60%	65.00%	64.44%	63.93%	63.45%	63.00%	62.58%	62.19%
21					90.00%	90.00%	78.00%	76.25%	74.71%	73.33%	72.11%	71.00%	70.00%	69.09%	68.26%	67.50%	66.80%	66.15%	65.56%	65.00%	64.48%	64.00%	63.55%	63.13%
22						90.00%	90.00%	78.13%	76.47%	75.00%	73.68%	72.50%	71.43%	70.45%	69.57%	68.75%	68.00%	67.31%	66.67%	66.07%	65.52%	65.00%	64.52%	64.06%
23							90.00%	90.00%	78.24%	76.67%	75.26%	74.00%	72.86%	71.82%	70.87%	70.00%	69.20%	68.46%	67.78%	67.14%	66.55%	66.00%	65.48%	65.00%
24								90.00%	90.00%	78.33%	76.84%	75.50%	74.29%	73.18%	72.17%	71.25%	70.40%	69.62%	68.89%	68.21%	67.59%	67.00%	66.45%	65.94%

25									90.00%	90.00%	78.42%	77.00%	75.71%	74.55%	73.48%	72.50%	71.60%	70.77%	70.00%	69.29%	68.62%	68.00%	67.42%	66.88%
26										90.00%	90.00%	78.50%	77.14%	75.91%	74.78%	73.75%	72.80%	71.92%	71.11%	70.36%	69.66%	69.00%	68.39%	67.81%
27											90.00%	90.00%	78.57%	77.27%	76.09%	75.00%	74.00%	73.08%	72.22%	71.43%	70.69%	70.00%	69.35%	68.75%
28												90.00%	90.00%	78.64%	77.39%	76.25%	75.20%	74.23%	73.33%	72.50%	71.72%	71.00%	70.32%	69.69%
29													90.00%	90.00%	78.70%	77.50%	76.40%	75.38%	74.44%	73.57%	72.76%	72.00%	71.29%	70.63%
30														90.00%	90.00%	78.75%	77.60%	76.54%	75.56%	74.64%	73.79%	73.00%	72.26%	71.56%
31															90.00%	90.00%	78.80%	77.69%	76.67%	75.71%	74.83%	74.00%	73.23%	72.50%
32																90.00%	90.00%	78.85%	77.78%	76.79%	75.86%	75.00%	74.19%	73.44%
33																	90.00%	90.00%	78.89%	77.86%	76.90%	76.00%	75.16%	74.38%
34																		90.00%	90.00%	78.93%	77.93%	77.00%	76.13%	75.31%
35																			90.00%	90.00%	78.97%	78.00%	77.10%	76.25%
36																				90.00%	90.00%	79.00%	78.06%	77.19%
37																					90.00%	90.00%	79.03%	78.13%
38																						90.00%	90.00%	79.06%
39																							90.00%	90.00%
40																								90.00%

किसी भी अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य में जोड़ा जाएगा। जीएसवी की गणना के लिए, अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि में प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष की गारंटीकृत अभिवृद्धि तथा जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी का अभ्यर्पण किया जाता है, उस वर्ष के पूर्ण माहों के अनुपात में आनुपातिक गारंटीकृत अभिवृद्धि सम्मिलित होगी। लागू गारंटीकृत अभिवृद्धि अनुच्छेद 4 व अनुच्छेद 13 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

किसी भी अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि का अभ्यर्पण मूल्य, अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि को अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू जीएसवी कारक से गुणा करके प्राप्त होगा।

संचित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक, जो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए हैं, पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करेंगे जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है, और वे नीचे दिए गए हैं :

अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य कारक

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि →																							
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	1.60%	1.50%
4	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%	1.60%
5	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%	1.90%	1.80%	1.70%
6	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%	1.90%	1.80%
7	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%	1.90%
8	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%	2.00%
9	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%	3.06%
10	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%	6.01%
11	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%	6.01%
12	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%	10.61%
13	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%	12.06%
14	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%	13.20%
15	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%	14.13%
16	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%	14.94%
17	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%	15.13%
18		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%	15.28%
19			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%	15.42%
20				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%	15.55%
21					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%	15.72%
22						35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%	15.93%
23							35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%	16.22%
24								35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%	16.58%

25									35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%	17.03%
26										35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%	17.58%
27											35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%	17.58%
28												35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%	17.66%
29													35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%	17.85%
30														35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%	18.16%
31															35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%	18.60%
32																35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%	19.18%
33																	35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%	19.93%
34																		35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%	20.85%
35																			35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%	21.99%
36																				35.00%	30.00%	27.06%	25.05%	23.38%
37																					35.00%	30.00%	27.06%	25.05%
38																						35.00%	30.00%	27.06%
39																							35.00%	30.00%
40																								35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य एक पूर्ण वर्ष का प्रीमियम प्राप्त होने के पश्चात प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर देय होगा। विशेष अभ्यर्पण मूल्य का वार्षिक पुनरीक्षण आईआरडीएआई के जीवन बीमा उत्पादों पर मुख्य परिपत्र, संदर्भ : IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 तथा आईआरडीएआई द्वारा इस संबंध में जारी किसी भी अनुवर्ती परिपत्र के अनुसार किया जाएगा।

पॉलिसी के अंतर्गत देय अभ्यर्पण मूल्य के अतिरिक्त, यदि पॉलिसीधारक ने पॉलिसी के अंतर्गत नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ को आस्थगित करने के विकल्प का प्रयोग किया है, तो अनुच्छेद 5.2 में यथानिर्दिष्ट ऐसे आस्थगित नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ, यदि कोई हो, का संचित मूल्य भी देय होगा।

यदि राइडर लिया गया हो तो राइडर पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और कोई और हितलाभ देय नहीं होगा।

15. पॉलिसी ऋण

पॉलिसी के अंतर्गत, पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य की सीमा तक, पॉलिसी अवधि के दौरान निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन ऋण उपलब्ध होगा :

i. प्रथम पॉलिसी वर्ष की समाप्ति के पश्चात, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष के प्रीमियम/प्रीमियमों का भुगतान किया जा चुका हो, ऋण लिया जा सकता है।

ii. अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में अनुमत अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा :

ए) यदि प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान ऋण लिया जाता है :

पॉलिसी की स्थिति	दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान से पहले	दो पूर्ण वर्ष के प्रीमियम के भुगतान के बाद
चालू पॉलिसियों के अंतर्गत	50%	75%
चुकता पॉलिसियों के अंतर्गत	40%	65%

बी) यदि प्रीमियम भुगतान अवधि के पश्चात ऋण लिया जाता है :

ऋण की अधिकतम अनुमेय राशि (जहाँ कोई पूर्व ऋण बकाया न हो) इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि, पॉलिसी के अंतर्गत पात्र नियमित आय हितलाभ के 50% से अधिक न हो, तथा यह अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 65% के अधीन होगी।

iii. संपूर्ण ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज दर, 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 माह की अवधि के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार 10 वर्षीय जी–सेक प्रतिफल प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि में 3% जोड़कर, या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित प्रतिफल में 1% जोड़कर, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 तक प्रारंभ होने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों के लिए संपूर्ण ऋण अवधि की लागू ब्याज दर 9.50% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी ऋण के लिए लागू ऋण ब्याज दर निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

iv. ब्याज का प्रथम भुगतान अगली पॉलिसी वर्षगाँठ पर या अगली पॉलिसी वर्षगाँठ से छह माह पूर्व की तिथि पर, जो भी ऋण स्वीकृत होने की तिथि के तुरंत पश्चात आती हो, किया जाना है, तथा तत्पश्चात प्रत्येक छमाही में किया जाएगा।

v. कोई बकाया ऋण और ऋण ब्याज, यदि कोई हो, निम्नलिखित से वसूल किया जाएगा :

– जिस तिथि को ऋण प्रदान किया गया है, उस तिथि को या उसके पश्चात देय होने वाला आय हितलाभ (जिसमें नियमित आय हितलाभ और बूस्टर आय हितलाभ सम्मिलित हैं), चाहे इस पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक द्वारा नियमित आय हितलाभ और/या बूस्टर आय हितलाभ को आस्थगित

करने का विकल्प प्रयोग किया गया हो या नहीं; और/या

- पॉलिसी के समापन पर देय दावा प्राप्तियों में से; और/या
- पॉलिसी के अंतर्गत देय कोई अन्य राशि, यदि हो।

vi. पॉलिसी अवधि के दौरान, देय तिथियों पर ऋण ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि, अभ्यर्पण मूल्य तथा आस्थगित आय हितलाभ के शेष संचित मूल्य, यदि कोई हो, के योग से अधिक होने वाली हो, तो निगम को ऐसी पॉलिसियों को समय-पूर्व बंद (फोरक्लोज़) करने का अधिकार होगा। समायोजन के पश्चात कोई अतिरिक्त राशि, ऐसी पॉलिसियों के समय-पूर्व बंद किए जाने पर पॉलिसीधारक को देय होगी।

16. कुछ स्थितियों में जब्ती

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरणों, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत विवरण निहित है या कोई भौतिक जानकारी रोककर रखी गई है, तो और ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य होगी और किसी भी लाभ के लिए सभी दावे समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

17. पॉलिसी समापन

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के पहले होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी:

ए) वह तिथि जब एकमुश्त मृत्यु हितलाभ /मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या

बी) वह तिथि, जब पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यार्पण हितलाभों का निपटान किया जाता है; या

सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो परिपक्वता की तिथि; या

डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्तों के भुगतान पर; या

ई) पैरा 15(vi) में निर्दिष्ट ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में; या

एफ) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर यदि पॉलिसी, जिसने चुकता स्थिति प्राप्त नहीं की है, पुनर्चलन अवधि के अंदर पुनर्चलित नहीं की गई है; या

जी) नि:शुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एच) अनुच्छेद 16 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार जब्ती की स्थिति में

18. टैक्स (कर)

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर नियमों व समय-समय पर लागू कर की दर के अनुसार होंगे।

प्रचलित दरों के अनुसार प्रयोज्य करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम पर (मूल पॉलिसी व राइडर(रों), यदि कोई हो, के लिए) अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित, पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियमों के अतिरिक्त अलग से संग्रहित की जाएगी। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत आयकर लाभों/अदा किए गए प्रीमियम (मों) पर प्रभाव तथा देय हितलाभों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार के साथ परामर्श करें।

19. निशुल्क अवलोकन अवधि

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ की इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक प्रति प्राप्त होने की तिथि, जो भी पहले हो, से 30 दिनों के भीतर, आपत्ति का कारण बताते हुए, पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम पॉलिसी को निरस्त कर देगा और बीमा–सुरक्षा की अवधि हेतु आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और चुने गए राइडर(रों) के लिए), चिकित्सा परीक्षणों पर हुए व्यय (जिसमें विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं) तथा स्टाम्प शुल्क को घटाने के पश्चात जमा की गई प्रीमियम राशि वापस करेगा।

20. आत्महत्या अपवर्जन

इस दस्तावेज़ में कहीं भी उल्लेखित मृत्यु पर देय हितलाभों के प्रावधान के बावजूद, आत्महत्या के कारण मृत्यु होने की स्थिति में दावा भुगतान से संबंधित प्रावधान यहाँ नीचे निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे :

पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम प्रारंभ की तिथि से अथवा पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से, जो भी लागू हो, 12 माह के भीतर बीमित व्यक्ति की आत्महत्या के कारण मृत्यु होने पर, नामित व्यक्ति या लाभार्थी, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 80% अथवा मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो।

टिप्पणी :

1) यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु / पुनर्चलन के समय आयु 8 वर्ष से कम हो।

2) यह खंड चुकता पॉलिसियों पर भी लागू होगा।

3) ऐसी पॉलिसी जो चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो गई हो, उसके अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

4) उपर्युक्त प्रीमियम में कोई कर, यदि उसे स्पष्ट रूप से वसूला गया हो, अतिरिक्त प्रीमियम और टर्म एश्योरेंस राइडर प्रीमियम के अतिरिक्त कोई राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं होंगे।

21. प्रतीक्षा अवधि

यदि यह योजना पीओएसपी–एलआई या सीपीएससी–एसपीवी के माध्यम से क्रय की गई हो, तो जोखिम प्रारंभ की तिथि से प्रथम 90 दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो तथा मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण न हुई हो, निगम भुगतान की गई कुल प्रीमियम वापस कर देगा। तथापि, प्रतीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, ऊपर अनुच्छेद 3.ए में निर्दिष्ट मृत्यु हितलाभ देय होगा। यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम हो।

22. हितलाभ का नमूना चित्रण

संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारक/ बीमित व्यक्ति के विवरण	
वितरण चैनल :	**ऑफ़लाइन**
संभावित ग्राहक / पॉलिसीधारक का नाम :	
आयु :	
बीमित व्यक्ति का नाम :	
आयु :	**35**

प्रस्ताव सं. :	
पॉलिसी विवरण	
मूल बीमित राशि रु.	10,00,000
मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी के प्रारंभ में) रु.	16,13,150
पॉलिसी अवधि :	25
प्रीमियम भुगतान अवधि :	12
किस्त प्रीमियम की राशि (मूल योजना के लिए)	**146,650**
प्रीमियम भुगतान विधि :	**वार्षिक**

यह हितलाभ चित्रण पॉलिसी के अंतर्गत देय वर्ष–वार प्रीमियम और हितलाभ दर्शाने के लिए है।

प्रीमियम सारांश			
	मूल योजना	राइडर 1	कुल किस्त प्रीमियम
जीएसटी रहित किस्त प्रीमियम	**1,46,650.00**		**1,46,650.00**
जीएसटी सहित किस्त प्रीमियम (प्रथम वर्ष)	**1,46,650.00**		**1,46,650.00**
जीएसटी सहित किस्त प्रीमियम (द्वितीय वर्ष से आगे)	**1,46,650.00**		**1,46,650.00**
टिप्पणी : जीएसटी दर समय–समय पर लागू अनुसार होगी। वर्तमान में यह छूट प्राप्त है।			

(राशि रु. में)

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)	वार्षिक प्रीमियम[2] (संचयी)	गारंटीकृत		
		नियमित आय हितलाभ	बूस्टर आय हितलाभ	गारंटीकृत अभिवृद्धि
1	2	3	4	5
1	1,46,650	0	0	11,732.00
2	2,93,300	0	0	35,196.00
3	4,39,950	0	0	70,392.00
4	5,86,600	0	0	1,17,320.00
5	7,33,250	0	0	1,75,980.00
6	8,79,900	0	0	2,46,372.00
7	10,26,550	0	0	3,28,496.00
8	11,73,200	0	0	4,22,352.00
9	13,19,850	0	0	5,27,940.00
10	14,66,500	0	0	6,45,260.00
11	16,13,150	0	0	7,74,312.00
12	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
13	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
14	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
15	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
16	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
17	17,59,800	1,00,000	7,00,000	9,15,096.00
18	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
19	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
20	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
21	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
22	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
23	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
24	17,59,800	1,00,000	0	9,15,096.00
25	17,59,800	0	0	9,15,096.00

(राशि रु. में)

गारंटीकृत			अगारंटीकृत	देय अभ्यर्पण मूल्य
परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ[3]	गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)	विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)[4]	
6	7	8	9	10
0	16,24,882	0	68,107	68,107
0	16,48,346	87,990	1,51,839	1,51,839
0	16,83,542	1,64,738	2,52,460	2,52,460
0	17,30,470	3,11,391	3,71,245	3,71,245
0	17,89,130	3,93,990	5,09,459	5,09,459
0	18,59,522	4,78,680	6,68,362	6,68,362
0	19,41,646	5,65,604	8,48,880	8,48,880
0	20,35,502	6,75,754	10,52,025	10,52,025
0	21,41,090	7,94,048	12,78,366	12,78,366
0	22,58,410	9,20,716	15,28,552	15,28,552
0	23,87,462	10,56,587	18,02,836	18,02,836
0	25,28,246	11,95,988	21,00,616	21,00,616
0	25,28,246	11,27,869	21,54,184	21,54,184
0	25,28,246	10,60,580	22,11,899	22,11,899
0	25,28,246	9,94,565	22,74,384	22,74,384
0	25,28,246	9,29,564	23,41,748	23,41,748
0	25,28,246	8,66,020	24,14,675	24,14,675
0	25,28,246	1,03,856	17,34,785	17,34,785
0	25,28,246	43,423	17,56,073	17,56,073
0	25,28,246	0	17,78,602	17,78,602
0	25,28,246	0	18,02,453	18,02,453
0	25,28,246	0	18,27,866	18,27,866
0	25,28,246	0	18,55,044	18,55,044
0	25,28,246	0	18,83,900	18,83,900
19,15,096	25,28,246	0	19,15,096	19,15,096

टिप्पणी : इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादों की विशेषताओं और विभिन्न परिस्थितियों में हितलाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके।

यह चित्रण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन पर लागू होता है।

1. इसमें पॉलिसी की शुरुआत में प्रस्तावक/पॉलिसीधारक द्वारा चयनित सभी राइडरों के संबंध में राइडर प्रीमियम शामिल हैं।

2. वार्षिक प्रीमियम में जोखिमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति प्रभार, राइडर के लिए भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं हैं। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या के लिए कृपया विक्रय साहित्य देखें।

3. किसी भी स्थिति में किसी भी समय कुल मृत्यु हितलाभ, भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के 105% से कम नहीं होगा (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर)।

4. अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) में से जो भी अधिक हो, वह होता है। विशेष अभ्यर्पण मूल्य की समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ सं. : IRDAI/ACTL/MSTCIR/MISC/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी आगामी परिपत्र के अनुरूप की जाएगी।

* 8 वर्ष से कम आयु के अवयस्कों के मामले में ऊपर दर्शाई गई मृत्यु पर बीमित राशि (पॉलिसी की शुरुआत में) जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद लागू होती है।

23. शिकायत निवारण तंत्र

निगम का:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु निगम के पास शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण और शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/असंतोष दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति को देख सकते हैं। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@ licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा अस्वीकृति के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के समक्ष उठाने का विकल्प है। प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति के सदस्य एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय न्यायाधीश होते हैं।

आईआरडीएआई का:

यदि ग्राहक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या 15 दिनों के भीतर हमसे प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करता है, तो ग्राहक निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से पॉलिसीधारक के संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

1) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई ग्रीविएंस कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल कर सकता है.

2) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेज सकता है.

3) https://bimabharosa.irdai.gov.in/ पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है

4) कूरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता:

   महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जो ग्राहकों को कम लागत और शीघ्र मध्यस्थता प्रदान करता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान, समय–समय पर यथा संशोधित लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार है :

1. पॉलिसी की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, यानी पॉलिसी जारी करने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर जीवन बीमा संबंधी किसी भी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

2. जीवन बीमा की पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

   बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या कानूनी प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामितियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

   स्पष्टीकरण । – इस उप–धारा के उद्देश्य से ''धोखाधड़ी'' नामक अभिव्यक्ति का अर्थ बीमाधारक या उसके अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य शामिल है :

   ए. सुझाव, जो वास्तविक रुप में सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

   बी. बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित है

स्पष्टीकरण ।। – बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन को प्रभावित करने की संभावना वाले तथ्यों के बारे में केवल चुप्पी ही धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि उस प्रकरण की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि उन्हें ध्यान में रखते हुए बीमाधारक या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य बोलने के लिए मौन रहना है, या जब तक कि उसका मौन अपने आप में ही बोलने के बराबर न हो।

3. उपधारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी बीमाकर्ता द्वारा धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि बीमाधारक द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या छिपाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही था, या उसकी मंशा तथ्य को जान–बूझकर छुपाने की नहीं थी, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे छुपाने बीमाकर्ता की जानकारी में है :

बशर्ते कि धोखाधड़ी के मामले में, यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो इसका खंडन करने का दायित्व लाभार्थियों का होता है।

स्पष्टीकरण–एक व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा अनुबंध करवाने की माँग की जाती है और इस संबंध में बातचीत की जाती है, उसे अनुबंध के निर्माण के उद्देश्य से बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

4. जीवन बीमा पॉलिसी पर पॉलिसी जारी होने की तिथि या जोखिम शुरू होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन साल के भीतर किसी भी समय इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है, कि बीमाधारक के जीवन की प्रत्याशा के संबंध में किसी भी तथ्य का कोई भी बयान देने या उसके संबंध में कोई तथ्य छुपाकर रखने का काम गलत तरीके से प्रस्ताव या अन्य दस्तावेज़ में किया गया था, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या उसका पुनर्चलन किया गया था या उसके लिए राइडर जारी किए गए थे।

बशर्ते कि बीमाकर्ता को बीमाधारक या उसके विधिक प्रतिनिधियों या बीमाधारक के नामित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित रूप में उन आधारों और सामग्रियों के बारे में बताना होगा, जिस पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय आधारित है :

इसके अलावा, यदि पॉलिसी को गलत बयान या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर अस्वीकार किया जाता है, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, तो अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर एकत्र किए गए प्रीमियम का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशिती को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के उद्देश्य से तथ्य का गलत बयानी करना या छिपाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए जोखिम पर सीधा असर न होता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रदर्शित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती तो ऐसे में बीमाधारक को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती।

5. इस धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण माँगने से रोके, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है, और किसी भी पॉलिसी को केवल इसलिए सवाल उठाने योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें बाद में केवल उस अनुवर्ती प्रमाण पर समायोजित की गई हैं, कि प्रस्ताव में बीमाधारक की आयु गलत बताई गई है।

छूट का निषेध (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या पुर्नचलन करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी रियायत के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा, जिसमें वह रियायत अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूची पत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

2) इस धारा के उपबंधों के पालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडित होगा जो दस लाख रूपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, समय–समय पर यथा संशोधित नियम लागू होते हैं।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

फर्जी फोन कॉल एवं नकली/धोखाधड़ीपूर्ण ऑफ़रों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या उसके अधिकारी बीमा व्यवसाय से संबंधित किसी भी गतिविधि, जैसे बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियमों का निवेश, धनराशि वापस करना आदि में संलग्न नहीं होते हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इनकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा का विस्तार मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के उद्देश्य के साथ की गई थी, जिससे कि यह देश के हर बीमा योग्य व्यक्ति तक पहुँच सकें और उसे बीमा योग्य घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक संरक्षण प्रदान कर सकें। भारतीय बीमा उद्योग के उदारीकरण के बाद भी एलआईसी निरंतर एक महत्वपूर्ण बीमा कंपनी की भूमिका निभा रही है तथा अपने पुराने कीर्तिमानों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने अस्तित्व के सात दशकों को पार करते हुए एलआईसी अपने प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक मजबूती के साथ निरंतर अग्रसर है।

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम जीवन बीमा
मार्ग, मुंबई - 400021
वेबसाईट: **www.licindia.in**
पंजीकरण संख्या: 512